क्या उचति है कृषगित आय को कर के दायरे में लाना?

प्राचीन काल में राजाओं के राजस्व का प्रमुख हस्सिा कृषसि ही आता था, भारत में अंग्रेज़ शासक कृषपिर भारी लगान लगाने के लयि कुख्यात हुए थे। परन्तु औद्योगकि क्रांतनि कृषकिो पीछे धकेल दयिा और अब अधकिांश देशों में कृषगित आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, बल्कउिन्हें अनुदान (सब्सडिी) दयिा जाता है। हालाँकिकृषगित आय को कर के दायरे में लाने की बात गाहे-बगाहे होती ही रहती है।

वर्तमान परस्थितियिाँ

- जनहति में लोकपरक नीतयिों का नरि्माण एवं उनका समुचति क्रयिान्वयन एक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण हैं। लेकनि बात जब कृषकिी हो तो लोक कल्याणकारी राज्य एक छलावा ही प्रतीत होता है।
- आजादी के 70 वर्षों के बाद भी जब देश के कसिानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो हमें बैठकर सोचना होगा कहिम आखरि कहाँ चूक रहे हैं? हाल ही में जब नीतआियोग के गवर्नगि कौंसलि की तीसरी बैठक राष्ट्रीय राजधानी दल्लिी में आयोजति हुई तो हमारे नीतनिरि्माताओं के पास यह सोचने का एक उपयुक्त मौका था।
- लंबे समय से इस बात पर चर्चा होती रही है ककिरदाताओं की संख्या बढ़ाने के लयि कृषगित आय को भी कर के दायरे में शामलि कयिा जाना चाहयि।
- हाल ही में नीतआियोग की कार्ययोजना पेश करते समय आयोग के सदस्य ववकि देबरॉय ने कृषगित आय को कर प्रणाली में शामलि करने का सुझाव दयिा।
- हालाँकदिेबरॉय के बयान के तत्काल बाद वत्ति मंत्री अरुण जेटली ने इस संभावना को खारजि कर दयिा। वहीं नीतआियोग के उपाध्यक्ष अरवदि पनगडयि़ा ने भी कहा कसिरकार कसिानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाने में लगी हुई है, लहिाजा कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।
- भले ही सरकार ने ऐसी कसिी योजना से इनकार कर दयिा है लेकनि कृषगित आय को करों के दायरे में लाना उचति क्यों है इस बात पर बहस तो होनी ही चाहयि।

क्या कहते हैं संबंधति प्रावधान

- कृषआिय से तात्पर्य उस आय से है जो कृषकों को भूमपिर उत्पादति कृषउित्पादों से प्राप्त होती है।
- वदिति हो क"िआयकर अधनियिम 1961 के सेक्शन 10 (1) में कृषआिय को छूट दी गई है।
- हालाँक,िभारतीय संवधिान में कृषकिे अतरिक्ति अन्य क्षेत्रों पर आयकर लगाने का अधकिार केन्द्र सरकार को तथा कृषकि्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर लगाने का अधकिार राज्य सरकारों को प्राप्त है।

कृषगित आय को कर के दायरे में लाना उचति क्यों?

- "राम गरीब है, राम एक कसिान है, अतः सभी कसिान गरीब हैं"। कृषगित आय के सन्दर्भ में यही धारणा आज भी कायम है। हमें जबकसिमृद्ध और गरीब कसिानों के बीच फर्क करना होगा।
- वशिषज्ञों का मानना है कदिेश में ऐसे हज़ारों कसिान हैं जन्होंने कृषसि उल्लेखनीय आय अर्जति की है। यह सर्ववदिति है ककिृषआिय पर कर न लगाने के प्रावधान का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहें हैं और देश को मलि सकने वाले राजस्व को डकार जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 70वें दौर की गणना पर आधारति रपिोर्ट के मुताबकि, 86% से अधकि कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हैं जसिके कारण आज देश में बड़ी संख्या में कसिान आत्महत्या कर रहे हैं वही एक कार्पोरेट कसिान हैं जो आयकर छूट से करोड़ों का फायदा कमा रहा है।
- भारत में भी कृषसि प्राप्त आय पर कोई कर नहीं लगता है। इस प्रावधान का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। अतः इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने की पहल अपरहिार्य हो गई है।

छोटे कसिानों को आयकर के दायरे से बाहर रखना आवश्यक क्यों?

- गौरतलब है कभिारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषकिा हस्सिा करीब 14 से 16 फीसद है जबककिुल श्रमशक्तकिा 49 और ग्रामीण श्रमशक्तकिा 64 फीसद हस्सिा कृषकिार्यों में लगा हुआ है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 70वें दौर की गणना पर आधारति रपिोर्ट के मुताबकि देश के तकरीबन नौ करोड़ कसिान परवािरों में तकरीबन सवा छह करोड़ कसिान परवािरों के पास एक हेक्टेयर या इससे कम ज़मीन है और इन परवािरों का कुल मासकि खर्च उनके मासकि उपभोग खर्च से अधकि है।
- रपिोर्ट यह भी बताता है कदिेश में 0.41 से एक हेक्टेयर तक की जोत वाले कसिान परवािरों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 15 लाख है। खेती से ऐसे प्रत्येक परवािर की कुल मासकि आमदनी 2,145 रुपये थी।
- खेतहिर मजदूरी (2,011 रुपये), पशुधन (629 रुपये) और गैर खेतहिर कामों (462 रुपये) से ऐसे प्रत्येक परवािर की औसतन आय 3,102 रुपये होती है।

सभी स्रोतों से कुल 5,247 रुपये हासिल होते हैं, जबकि सीमांत कृषक-परिवारों का मासिक उपभोग खर्च 6,020 रुपये है।
- अतः जब छोटे किसान बमुश्किल अपना खर्च चला पा रहे हैं तो उनसे कर लेने के बजाय उन्हें और अधिक सब्सिडी दी जानी चाहिये और उनकी बेहतरी के अन्य उपाय किये जाने चाहिये।

क्या हो आगे की राह?

- यदि सरकार कर दायरा बढ़ाना चाहती है तो उसका स्वाभाविक तरीका यह है कि करारोपण से दी जाने वाली छूटों और अपवादों को या तो खत्म कर दिया जाए या न्यूनतम किया जाए।
- विवेक देबरॉय की राय के मुताबिक एक खास सीमा से अधिक कृषि आय पर ही कर लगाया जाना चाहिये। लेकिन सियासी नजरिये से भी इस राह पर कदम बढ़ा पाना सरकार के लिये मुश्किल होगा।
- फिर भी यदि सरकार कृषि आय को कर दायरे में लाती है तो होने वाला राजकोषीय लाभ कम ही होगा। इसकी वज़ह यह है कि कर दायरे में लाए जाने वाले किसानों की संख्या काफी कम होगी।
- दरअसल पिछले कुछ दशकों में भारत में खेतों का आकार लगातार सिकुड़ता चला गया है जिससे कृषि अधिक लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है।
- वर्तमान वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर ही कर लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम आँकड़ों की मानें तो 10 हेक्टेयर से अधिक खेत वाला एक कृषक परिवार भी साल भर में औसतन 2.35 लाख रुपये ही कमा पाएगा।
- इस तरह कृषि आय पर निर्भर बहुत कम परिवार ही कर दायरे में लाए जा सकेंगे। यदि बढ़ते राजकोषीय बोझ के चलते ऐसा फैसला किया जाता है तो उसके लिये कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं।

निष्कर्ष

- विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना होता है, कृषि आय पर कर लगाने से अच्छा है कि कृषि क्षेत्र को समर्थन मूल्य और अन्य तरीकों से दी जा रही तमाम सब्सिडी पर रोक लगा दी जाए।
- सब्सिडी देने के बजाय प्रत्यक्ष आय समर्थन का तरीका आजमाया जा सकता है, जो पहले से ही कई देशों में लागू है। लेकिन इस आय को कुछ समय बाद अर्जित आयकर प्रणाली में शामिल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। इससे लोग स्वेच्छा से कर प्रणाली का हिस्सा बनने के लिये प्रोत्साहित होंगे।
- यह भी सही है कि कुछ लोगों द्वारा कृषि आय पर मिली छूट का इस्तेमाल अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर कर देने से बचने के लिये किया जा रहा है तो कर नियमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना ही उसका सही तरीका हो सकता है।
- निश्चित रूप से कृषि आय पर कर लगाने जैसे प्रस्ताव पर फैसला करने से पहले सभी बिंदुओं पर गौर करना होगा। इसके अलावा नीति आयोग को ग्रामीण क्षेत्र के लिये कारगर संरचनात्मक बदलावों पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/is-it-appropriate-to-bring-agricultural-income-into-the-tax-net